BEFORE THE HON'BLE STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2025

IN THE MATTER OF:

RAJ KISHOR ....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UP & ORS ...... **RESPONDENT**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Response on behalf of Up Pollution Control Board	1 – 3
2	**ANNEXURE-R-1** True copy of the show cause notice dated 26.06.2025	3-4
3	**Annexure-2.** True copy of the letter	5

NEW DELHI
DATED: 30 .06.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2025

IN THE MATTER OF:
RAJ KISHORE **…. APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. **…. RESPONDENTS**

RESPONSE ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, Manoj Kumar, S/o Shri L.N. Chaurasia, aged about 46 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Kanpur Dehat, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the above noted capacity am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent to swear this affidavit.

2. That vide its order dated 13.05.2025 this Hon'ble Tribunal has issued notice to the Respondents and called for response from them.

3. That in compliance of the said order the present response is being filed.

4. That in compliance of order dated 13.05.2025 a report of Joint Committee constituted by this Hon'ble Tribunal is being filed which contains detailed facts and the same will be referred and relied by the replying Respondent.

5. That the brick kiln M/s. Kais Brick Field (Old Name M/s. HM Brick Kiln), village Makhaipur, Post Kusumkhor, District Kannauj has been established without taken consent to establish from the U.P. Pollution Control Board and in violation of sitting criteria as per Uttar Pradesh (Brick Kiln Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012.

NOTARY ★ GOVERNMENT OF INDIA ★ Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2025

6. That the said brick kiln has been closed by the replying Respondent and presently it is lying closed.

7. That the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat vide letter dated 11.06.2025 has recommended to impose Environmental Compensation of Rs. 6,68,750/- against the violators Sh. Nafees Ali, Sh. Naeef Ali and Sh.Dilshad Ali, S/o Sh. Raseed Ali, resident of Vill-Sarotoop, Post-budhani,Tehsil/ district-Kannauj and Sh. Danish, S/o Sh. Anvarul Haq resident ofVill./Post-Kusumkhor Bangar, Tehsil/ District- Kannauj, is the owner ofM/s Kais Brick Field (Old Name- M/s H.M. Brick Kiln), Village-Makhaipur, Post-Kusumkhor, District-Kannauj for the illegal operation of the unit dated 03.02.2025 to dated 21.05.2025.

8. That U.P. Pollution Control Board vide letter dated 26.06.2025 has issued show cause notice to the said brick kiln to show cause as to why Environmental Compensation of Rs. 6,68,750/- be not imposed against it. True copy of the show cause notice dated 26.06.2025 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1.**

9. That as per recommendation of the joint committee, letter has been sent to Mining Department & Jila Panchayat Department, Kannauj to take action against the said brick kiln i.e. M/s. Kais Brick Field (Old Name M/s. HM Brick Kilns). True copy of the said letter is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2.**

NOTARY ★ GOVERNMENT OF INDIA ★ Ashish Kumar Advocate Akbarpur (K.D.) 48220/2025

5. That the above response is being submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर देहात

VERIFICATION:

I, do hereby verify that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge derived from official record. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON DAY OF JUNE, 2025 AT KANPUR DEHAT

SN/644
Sworn before me this day As 30/06/025
By Sri Manoj Km to Whom As Content of this Explained Who is Duly identified Self

Ashish Kumar
30/06/025
Advocate
Govt. Notary
Akbarpur Kanpur Dehat

DEPONENT
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर देहात

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ सं0 H 29567/सी-2/वायु-165/25 दिनांक 26-6-25

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स कैश ब्रिक फील्ड (पुराना नाम एच0एम0 ब्रिक फील्ड),
ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर बॉगर तहसील,
जनपद-कन्नौज।

यह कि मैसर्स कैश ब्रिक फील्ड (पुराना नाम एच0एम0 ब्रिक फील्ड), ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर बॉगर तहसील, जनपद-कन्नौज जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, ईंट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मैसर्स कैश ब्रिक फील्ड (पुराना नाम एच0एम0 ब्रिक फील्ड), ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर बॉगर तहसील, जनपद-कन्नौज द्वारा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापना किये जाने एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित करने के कारण राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 82546/सी-2/वायु-165/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 11.06.2025 की आख्यानुसार ईंट भट्ठा द्वारा बंदी आदेश की अवहेलना कर संचालन किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तरीय समिति द्वारा ईंट भट्ठा का दिनांक 03.02.2025 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। समिति द्वारा ईंट भट्ठे को बन्द कराया गया एवं ईंट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा निर्देशित किया गया कि ईंट भट्ठे पर बंदी आदेश प्रभावी होने के दशा में संचालन कदापि न करें।

यह कि ईंट भट्ठा द्वारा पुनः संचालन किये जाने के कारण शिकायतकर्ता राजकिशोर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में कि गयी शिकायत के आधार पर दिनांक 13.05.2025 को आदेश पारित किया गया आदेश के अनुपालन में जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा दिनांक 21.05.2025 को ईंट भट्ठे का निरीक्षण किया गया। निरक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। समिति द्वारा ईंट भट्ठे को फायर ब्रिगेड की दमकल से पानी डालकर संचालन निषिद्ध किया गया।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र E.C=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 6250/- प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 50, N (Number of days)=1, R (Penalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, Small) = 0.5, LF (Location Factor) = 1.0 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 11.06.2025 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गॉइड लाईन के अनुसार उद्योग पर दिनांक 03.02.2025 से दिनांक 20.05.2025 तक कुल 107 डिफाल्टर दिनों हेतु रू0 6250/- प्रतिदिन की दर से रू0 6,68,750/-(रू0 छः लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात की संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम

Mobile No- [redacted]

अधिकारी के अनुमोदनापरान्त उद्योग के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स कैश ब्रिक फील्ड (पुराना नाम एच0एम0 ब्रिक फील्ड), ग्राम-मखईपुर, पोस्ट-कुसुमखोर बॉगर तहसील, जनपद-कन्नौज पर 107 दिवस की उल्लंघन अवधि हेतु रू0 6250/- प्रतिदिन की दर कुल रू0 6,68,750/-(रू0 छः लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध 107 दिवस के डिफाल्ट के दृष्टिगत रू0 6,68,750/-(रू0 छः लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

Digitally signed by
ATULESH YADAV
Date: [illegible]2025
14:24:46

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, कन्नौज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Annexure-2

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

280, एन0एच0–19, रनियां, कानपुर देहात–209304

संदर्भ सं0 177/H.14/2025 दिनांकः– 24-06-2025

सेवा में,

1. खान अधिकारी
   जनपद–कन्नौज।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
   जनपद–कन्नौज।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली योजित ओ0ए0 सं0 196/2025 राजकिशोर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 13.05.2025 के द्वारा गठित संयुक्त समित संस्तुतियों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली योजित ओ0ए0 सं0 196/2025 राजकिशोर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 अदर्स में पारित आदेश दिनांक 13.05.2025 के अनुपालन में गठित समित द्वारा मै0 कैश ब्रिक फील्ड (पुराना नाम एच0एम0 ब्रिक फील्ड) ग्राम मखईपुर पो0 कुसुमखोर बाँगर तहसील, जनपद–कन्नौज का निरीक्षण किया गया। संयुक्त समित द्वारा ईंट भट्ठा का निरीक्षण कर संयुक्त आख्या मा0 न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित की गयी। संयुक्त आख्या में ईंट भट्ठा द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश की अवहेलना कर संचालन किये जाने के कारण सम्बन्धित विभाग खनन विभाग, जिला पंचायत से ईंट भट्ठे के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मै0 कैश ब्रिक फील्ड (पुराना नाम एच0एम0 ब्रिक फील्ड) ग्राम मखईपुर पो0 कुसुमखोर बाँगर तहसील, जनपद–कन्नौज द्वारा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापना की गयी। एवं संचालन बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये कार्य किया जा रहा है। ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेश की अवहेलना कर संचालन किये जाने के कारण आप अपने विभाग से ईंट भट्ठे पर नियमानुसार कार्यवाही कर राज्य बोर्ड को कृत् कार्यवाही की आख्या प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली योजित ओ0ए0 सं0 196/2025 राजकिशोर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 अदर्स में सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 02.07.2025 को ईंट भट्ठे पर आपके विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या प्रेषित की जा सकें।

भवदीय

(मनोज कुमार चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, कन्नौज को सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी